दिनांक 02.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.04.2025 को क्राइम ब्रान्च गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मधुबन बापूधाम क्षेत्र से पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाह फहद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाह फहद निवासी रफीक कॉलोनी डासना थाना वेब सिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद, हालपता सेक्टर—23 संजयनगर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सिकंदरा

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 02.04.2025 को थाना सिकंदरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवीराम हलवाई से मनोहर गार्डन जाने वाले रास्ते से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नितिन को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना सिकंदरा पर गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकंदरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नितिन निवासी ग्रान्ट फोर्ट अमार्टमेन्ट थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा।

जनपद हाथरस/थाना सादाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटी गयी 03 किलोग्राम सफेद धातु की सिल्ली**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02.04.2025 को थाना सादाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरौठ बम्बा श्रीनगर की पुलिया के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–कन्हैया 2–चन्दू उर्फ चन्द्रकान्त घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–अंशू कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 03 किलोग्राम सफेद धातु की सिल्ली, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28.03.2025 को थाना सादाबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सादाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कन्हैया निवासी निति निवास तसींगा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2—चन्दू उर्फ चन्द्रकान्त निवासी अशोक कुमार विहार कालोनी जलेसर रोड टेडी बगिया थाना टी0वाई0सी0, आगरा।

3—अंशू कुमार निवासी गढ़ी भगता भाग तसींगा थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1—लूटी गयी 03 किलोग्राम सफेद धातु की सिल्ली।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सोनभद्र/थाना कोन

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 02.04.2025 को थाना कोन व थाना रामपुर बरकोनिया की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चकरिया बॉर्डर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—कुर्बान अली घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—रामाधार 3—राजदेव 4—वीरभान 5—मुन्ना सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना कोन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कुर्बान अली निवासी पनौरा थाना मॉची जनपद सोनभद्र।

2—रामाधार निवासी सोहदार थाना मॉची जनपद सोनभद्र।

3—राजदेव निवासी सोहदार थाना मॉची जनपद सोनभद्र।

4–वीरभान निवासी सोहदार थाना मॉची जनपद सोनभद्र।

5–मुन्ना निवासी सोहदार थाना मॉची जनपद सोनभद्र।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कन्नौज/थाना कोतवाली कन्नौज

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 500 रूपये नगद**
- **चोरी के रूपयो से खरीदी गयी मोटर साइकिल**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2025 को थाना कोतवाली कन्नौज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कैलाश कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1–विनोद कुमार उर्फ पउआ 2–शाहरूख को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 500 रूपये नगद, चोरी के रूपयो से खरीदी गयी मोटर साइकिल, 04 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.03.2025 को थाना कोतवाली कन्नौज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त विनोद कुमार उर्फ पउआ शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात व मध्यप्रदेश प्रान्त के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कन्नौज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनोद कुमार उर्फ पउआ निवासी जमुआ भट्टा कस्बा व थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2—शाहरूख निवासी इन्द्रानगर कस्बा व थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 500 रूपये नगद।

2—चोरी के रूपयो से खरीदी गयी मोटर साइकिल।

3—04 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना कोतवाली

- **धोखाधड़ी के 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद**

दिनॉकः 01.04.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोतवाली क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—चॉदवीर 2—श्याम सुंदर 3—कल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तों द्वारा नकली सोने के आभूषण के बदले धोखाधड़ी करके दुकान दार असली सोने के आभूषण लेकर चले जाने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चॉदवीर निवासी बडौत कांत थाना लक्ष्मणगढ़ जनपद अलवर, राजस्थान।

2—श्याम सुंदर निवासी खोरपुरी थाना बडौदा मेव जनपद अलवर, राजस्थान।

3—कल्लू निवासी खोरपुरी थाना बडौदा मेव जनपद अलवर, राजस्थान।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत के सोने के आभूषण।

जनपद झाँसी/थाना बड़ागांव

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 12 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 ट्रक आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2025 को थाना बड़ागांव व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परीछा डैम नहर पटरी के पास से 02 अभियुक्तों 1—कृष्णा 2—रनवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 12 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा, 02 मोबाइल फोन, 01 ट्रक आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बड़ागांव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कृष्णा निवासी सेक्टर 32 ईडब्लू एस कॉलोनी थाना 07 नम्बर जनपद लुधियाना पंजाब।

2—रनवीर निवासी टिंडारीखुर्द गणपति चौक थाना फोकल प्वाइंट जनपद लुधियाना पंजाब।

बरामदगी

1–01 कुन्तल 12 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 ट्रक आदि।

- **कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना जेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा थाना जेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सतवीर उर्फ सत्यवीर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चन्दौली/थाना शहाबगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चन्दौली द्वारा थाना शहाबगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जहीरूद्दीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना कॉट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कॉट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/376 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त काशीराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना अतरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना अतरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सटल्लू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 02.04.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय लखनऊ में डायरेक्टर इन्टेलीजेन्स ब्यूरो का हुआ आगमन

आज दिनांक 02.04.2025 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में डायरेक्टर इन्टेलीजेन्स ब्यूरो **श्री तपन कुमार डेका** (आई0पी0एस0–1988) का आगमन हुआ जिसमें **श्री प्रशान्त कुमार** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया।

तदोपरान्त पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बैठक का शुभारम्भ करते हुए डायरेक्टर इन्टेलीजेन्स ब्यूरो का स्वागत किया गया तथा उपस्थित सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा एक एक कर अपना परिचय दिया गया। तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा बताया गया कि उ0प्र0 पुलिस मा0 प्रधानमंत्री जी के 'SMART पुलिसिंग' के दृष्टिकोण को मा0 मुख्यमंत्री जी के यशश्वी नेतृत्व में साकार कर रही है।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि आज उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध, माफिया तंत्र और अराजक तत्वों का समूल उन्मूलन हुआ है, जिससे नागरिकों में सुरक्षा, कानून के प्रति विश्वास और राज्य की कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हुई है। महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। तत्पश्चात डायरेक्टर इन्टेलीजेन्स ब्यूरो द्वारा उ0प्र0 पुलिस को दिये जा रहे निरन्तर सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

तत्पश्चात महाकुम्भ–2025 लघु फिल्म के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस के भगीरथ प्रयासों की एक झलक प्रस्तुत की गयी।

बैठक में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज श्री तरुण गाबा, ADG UP–112 श्रीमती नीरा रावत, ADG क्राइम श्री एस.के. भगत, ADG Law–Order श्री अमिताभ यश, CP कानपुर श्री अखिल कुमार, ADG आगरा जोन श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ, ADG टेक्निकल सर्विसेस श्री नवीन अरोड़ा, IG Law–Order श्री एल.आर. कुमार, ADG गोरखपुर जोन डॉ. के.एस. प्रताप कुमार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयो पर प्रस्तुतिकरण देते हुए नवाचारो पर चर्चा की गयी।

प्रस्तुतीकरण के उपरांत उनके सम्मान में मध्यान्ह भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री राजकुमार विश्वकर्मा एवं श्री विजय कुमार सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।